

आदेश की
क्रम सं० और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर


2
05.1.23


प्रथम पक्ष - की हाजरी है।
द्वितीय पक्ष - दो सदस्यों की हाजरी है।

उक्त पक्षों के हजीर एवं कारण-पुच्छा के अपलोकन से ज्ञात प्रतीत होता है कि वाद स्वत्व से संबंधित है। जिसका निराकरण इस न्यायालय से नहीं किया जा सकता है।

अतः वाद की कार्यवाही को समाप्त कर अग्रिम में बन्द किया जाता है।

लेखापति एवं सचिव।


अनु. लेखा.
गिरिणीह।


अनु. लेखा.
गिरिणीह।